

58 घंटों बाद खुला राजगढ़ में किसानों का चक्का जाम

चुरू जिला कलेक्टर के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता सफल रही और किसानों ने जमकर आतिशबाजी की

- प्रशासन द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट नहीं देने के विरोध में और बकाया बीमा क्लेम सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर 16 जुलाई से राजगढ़ तहसील क्षेत्र में किसानों का चक्का जाम आंदोलन चल रहा था।
- राजगढ़ तहसील के अलावा डोकवा, लसेड़ी, ददरेवा, सिद्धमुख व बैरासर में भी किसानों ने चक्का जाम कर रखा था, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लम्बी कतारें लग गई थीं।
- चक्का जाम खुलने के बाद वाहन चालकों सहित स्थानीय प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है।

सादलपुर, 18 जुलाई (निर्स)। अखिल भारतीय किसान सभा एवं भारत की जनवादी नौजवान सभा को प्रशासन द्वारा क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट नहीं देने के विरोध में एवं नहर व बकाया बीमा क्लेम सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर तहसील क्षेत्र राजगढ़ में चल रहा, चक्का जाम प्रदर्शन तीसरे दिन जिला कलेक्टर चुरू के साथ सकारात्मक वार्ता होने के बाद स्थगित हो गया है।

जातव्य है कि राजगढ़ तहसील के एन.एच. 52 पर स्थित गाँव डोकवा, सादलपुर हिसार एन.एच. 52 पर स्थित लसेड़ी, तारानगर सादलपुर सड़क मार्ग पर भोलिया (ददरेवा), सिद्धमुख भादरा सड़क मार्ग पर सिद्धमुख एवं सादलपुर सुन्दरुण सड़क मार्ग पर गाँव बैरासर छोटा में गत तीन दिन व दो रात से लगभग 58 घंटे से चक्का जाम चल रहा था।

पाँच सूत्री मांगों का समझौता पत्र सौंपने के बाद सोमवार शाम 6.00 बजे रास्ता खोल दिया गया। इसी दौरान किसानों ने जमकर आतिशबाजी भी की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक पेमाराम, डॉ. संजय माधव, अध्यक्ष रामनिवास लाम्बा, कॉमरेड सुनील पुनिया, निर्मल कुमार प्रजापत, उमराव सिंह, मुनेश पुनिया, इन्द्राज सिंह

तलाक-ए-हसन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तलाक-ए-हसन तथा अन्य सभी तरह की इकरतफा एक्स्ट्रा-जुडिशियल तलाकों को असंवैधानिक घोषित किया जाये तथा केन्द्र को निर्देश दिये जायें कि केन्द्र तलाक के लिये सभी धर्मों एवं स्त्री-पुरुष दोनों के लिये समान प्रकार के आधार रखने के लिये गाइडलाइन तैयार करे। याचिका में कहा गया है कि तलाकों का "न तो मानवाधिकारों तथा आम बराबरी के आधुनिक सिद्धांतों के साथ ताल-मेल या सुसंगति है और न ये इस्लामिक राष्ट्रों के व्यवहार का अभिन्न एवं अनिवार्य हिस्सा ही है क्योंकि कई

इस्लामिक देश ऐसी प्रथाओं को पहले ही प्रतिबंधित कर चुके हैं। दिसंबर 2020 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ शादी करने वाली, वादी मुस्लिम पत्रकार का कहना है कि वह इकरतफा तलाक-ए-हसन की शिकार है क्योंकि उसके माता-पिता को दहेज देने के लिये मजबूर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी, उसे उसके पति तथा पति के परिवारजनों ने बड़ा दहेज न मिलने के कारण यातनाएं दीं। उसकी वकील ने कहा कि उसके पिता द्वारा आगे और दहेज देने से इनकार कर दिये जाने पर, उसके पति ने एक वकील के माध्यम से उसे तलाक-ए-

हसन दे दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के पूरी तरह विरुद्ध है। याचिका में यह मांग भी की गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 तथा डिऑल्ग्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939 को शून्य तथा असंवैधानिक घोषित किया जाये।

संसद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वेंकेया नायडू ने भी इसी प्रकार दोपहर से पहले सदन स्थगित कर दिया था।

प्रयास किये जायेंगे, प्रीमियम न काटे जाने तथा पोर्टल पर इन्द्राज न करने के कारण लम्बित क्लेम के लिए संबंधित बैंक का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा। राज्य सरकार की कृषि योजनाओं में पूर्व स्वीकृति की तुलना में इस वर्ष अधिक स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी और यदि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर 181 पटवार हल्कों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, जिसमें क्लेम का निर्धारण केवल क्रॉप कटिंग के आधार पर करने का निवेदन किया जाता है, तो उसे राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील मानते हुए केन्द्र की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की जायेगी, साथ ही किसानों द्वारा क्रॉप कटिंग के पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किये जाएंगे, वह भी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को अग्रहित किये जाएंगे।

उक्त आपत्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार की जाएगी तथा जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा केवल राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

मुसलमानों के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) द्रोपदी मुर्मू की भाजपा की पसंद के प्रति धर्म निरपेक्ष दलों द्वारा प्रदर्शित की गई "समझौता-राजनीति" इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण है। ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक, उड़व ठाकरे से हेमन्त सोरन तक ये सभी नेता भाजपा की प्रत्याशी के समर्थन का निर्णय ले चुके हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति एवं तौर-तरीका दर्शाते हैं कि इनमें से कोई नेता या उसकी पार्टी भाजपा की बहुसंख्यक राजनीति को चुनौती देने के लिये राजी नहीं हैं। जैसा कि सी.एस. डी.एस. की हाल की एक रिपोर्ट बताती है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये कुछ दिन पूर्व हुए चुनावों में करीब 8 प्रतिशत पसमन्दा मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिये थे। भाजपा के दीर्घकालीन लक्ष्यों के एक हिस्से के रूप में, भाजपा के रणनीतिकार, एक सम्भावित कैचमेंट एरिया के रूप में, पसमन्दा मुस्लिमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन, भाजपा ने मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ाव की शर्तें (टर्म ऑफ एंगेजमेंट) साफ तौर पर निर्दिष्ट कर दी हैं।

बी.टी.पी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विपक्ष को इन्वॉल्व करती। उससे बातचीत करती और राष्ट्रपति जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने लाने की कोशिश करती। वो बेहतर होता, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार के चुनाव छोड़कर 15 बार लगातार हमेशा कोई न कोई उम्मीदवार सामने आए हैं।

'किसानों को बिजली का कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में 1600 करोड़ रु. का घोटाला'

वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदे बदल रही है

विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार के इस गड़बड़ झाले की वजह से प्रोजेक्ट की लागत 2300 करोड़ रु. से बढ़कर 3900 करोड़ रु. हो जाएगी।

जयपुर, 18 जुलाई (का.सं.)। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री की बजटीय घोषणा को पूरी करने के लिए प्रदेश के किसानों को खेती के लिए 1.04 लाख बिजली कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में 1600 करोड़ का ऐसा गड़बड़झाला किया जा रहा है जिसकी वजह से अब 2300 करोड़ का काम 3900 करोड़ रुपये में होगा और इसका भार अन्ततोगत्वा प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। राठौड़ ने कहा कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरी करने के लिए 22 अप्रैल को 2300 करोड़ रुपये टेंडर निकाला था लेकिन चहेती कंपनी को ही टेंडर मिलना सुनिश्चित करने के लिए निविदा की शर्तों में 6 मई, 9 मई, 16 मई, 25 मई, 31 मई व 8 जून यानी कुल 6 बार मनमाने तरीके से संशोधन किया गया। इस संशोधन के कारण जाईंट वेंचर वाली व दूसरे राज्यों की कई बड़ी कंपनियां बाहर हो गईं तथा हर टेंडर में अधिकारियों की चहेती सिर्फ एक दो कंपनियां ही शामिल हो सकी जिन्होंने मनमर्जी करते हुए निविदा में 82 फीसदी ज्यादा रेट लगाई है और अधिकारी भी इन्हीं कंपनियों को वर्कऑर्डर देने के लिए आमदा है।

राठौड़ ने कहा कि टर्नकी प्रोजेक्ट के जरिये सरकारी अधिकारियों ने टेंडर करने के साथ ही अपनी खास व चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदे बदलाने का खेल शुरू कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर की दोनों कंपनियों में से किसी के पास भी 50 प्रतिशत काम करने का अनुभव की शर्त रखी गई थी, इससे करीब 50 कंपनियां स्वतः ही टेंडर से बाहर हो गईं। इसके साथ ही दोनों पार्टनर्स का इलेक्ट्रिकल लाइसेंस अनिवार्य करने व

टर्नकी में मैट्रियल व मजदूर डेकेदार द्वारा ही लाने जैसे टेंडर के नियमों में संशोधन से कई कंपनियां शामिल नहीं हो सकीं। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 4.88 लाख से ज्यादा नए व लम्बित कृषि कनेक्शन जारी करने की बजटीय घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार कृषि कनेक्शन देने का कार्य टर्नकी प्रोजेक्ट से हो रहा है। डिस्कॉम प्रबंधन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा रेट पर वर्कऑर्डर देना चाहती है, जबकि अभी मात्र 1.04 लाख बिजली कृषि कनेक्शन के लिए टेंडर निकाले गये हैं और शेष 3.85 लाख कनेक्शन के लिए अभी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में यह भ्रष्टाचार चूं ही जारी रहा तो डिस्कॉम को 6400 करोड़ रूपयों का सीधा आर्थिक नुकसान होगा, जिसकी वसूली आम उपभोक्ताओं से टैरिफ बढ़ाकर की जाएगी।

राठौड़ ने कहा कि डिस्कॉम की ओर से विद्युत विनियामक आयोग में दायर टैरिफ पिटिशन के तहत आगामी तिमाही में फ्यूल चार्ज 75 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा आने की पूरी आशंका है जिसका सारा भार प्रदेश के 1.52 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली विभाग घोटालों का केन्द्र बन चुका है। पूर्व में भी अपने खुद के धर्मल पावर प्लांट में भ्रष्टाचार के कारण उत्पादन टप्प होने से 17 रुपये प्रति यूनिट तक की महंगी बिजली उपभोक्ताओं को देकर जमकर चांदी कूटी गई। राठौड़ ने कहा कि कृषि

कनेक्शन के टर्नकी प्रोजेक्ट के अलावा सौर ऊर्जा के सोलर पैनेल उत्पादन निर्माता कंपनी को फायदा पहुंचाने का कुकृत्य कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पुत्र सुमंत सिन्हा की सोलर पैनेल निर्माता कंपनी रिन्यू पावर को कांग्रेस सरकार उपकृत करते हुए विशेष कटमाइज पैकेज दे रही है जिसमें 1 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर दोगुने से ज्यादा यानी करीब 2020 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जायेगी जबकि पूरे प्लांट के रोबोटिक व ऑटोमैटेड होने से 100 से भी कम लोगों को बमुश्किल रोजगार मिलेगा।

जी.एस.टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जाएगा। इसके अलावा खुदरा व्यवसायी जी.एस.टी. से बच सकता है अगर वह पैक में वस्तु खरीदता है और उसे फुटकर में बेचता है क्योंकि ऐसी सप्लाय जी.एस.टी. शुल्क के दायरे में नहीं आएगी। हालांकि यह पैकेज्ड आइटम की बिक्री को प्रोत्साहित करने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है क्योंकि लुज में बेचने पर इससे मिलावट को बढ़ावा मिलेगा। तथापि, जी.एस.टी. उस पैकेज पर लागू होगा जिसमें कई रिटेल पैक शामिल हों, जैसे कि 10 किलो आटे के 10 रिटेल पैक का एक पैकेज। तो फिर जी.एस.टी. 10 कि.ग्रा. पैक की खुदरा बिक्री पर लागू होगा क्योंकि अन्ततः बिक्री एक खुदरा उपभोक्ता को की जाएगी।

हिमालय की सैन्ट्रल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ग्लेशियर क्षेत्रों में बर्फबारी की मात्रा के मामले में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गैर- (डब्ल्यू.डी) स्रोतों से प्राप्त वर्षा में 17 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। इस तथ्य से भी शोधकर्ताओं के दावों को और भी बल मिला है। डॉ. कुमार ने कहा, "इस विंगति से भविष्य में विलम्ब होने की दिशा में आशा की एक बहुत ही मंद सही, लेकिन किरण तो दिखाई दी है। विंगति को नियंत्रित करने में (डब्ल्यू.डी.) के महत्व को पहचान लेने के बाद, इनके आगामी व्यवहार से हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों का भविष्य जरूर तय होने की संभावना है।"

ग्लेशियर क्षेत्रों में बर्फबारी की मात्रा के मामले में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गैर- (डब्ल्यू.डी) स्रोतों से प्राप्त वर्षा में 17 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। इस तथ्य से भी शोधकर्ताओं के दावों को और भी बल मिला है। डॉ. कुमार ने कहा, "इस विंगति से भविष्य में विलम्ब होने की दिशा में आशा की एक बहुत ही मंद सही, लेकिन किरण तो दिखाई दी है। विंगति को नियंत्रित करने में (डब्ल्यू.डी.) के महत्व को पहचान लेने के बाद, इनके आगामी व्यवहार से हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों का भविष्य जरूर तय होने की संभावना है।"







कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

6 वर्षों से सिर्फ फसल ही नहीं आपकी खुशियां भी रखी हैं सुरक्षित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

- दावों का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में
- आधुनिक तकनीक से उपज का बेहतर अनुमान

6 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां

- 5.5 करोड़ से अधिक किसान हर वर्ष इस योजना से जुड़ रहे हैं।
- 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा भुगतान

पंजीकरण की अंतिम तिथि:

31 जुलाई 2022

► कृषि रक्षक



बैंक शाखा/बीमा कंपनी/ कृषि ऋण समिति

जनसेवा केंद्र (CSC)

www.pmfby.gov.in
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

किसान कॉल सेंटर
1800-180-1551

फसल बीमा पंजीकरण एवं अंतिम बीमा तिथि के लिए संपर्क करें

PMFasalBimaYojana pmfalsalBimayojana PMFBY @pmfby @pmfby www.pmfby.gov.in Crop Insurance (Farmer's app)

बीमा भागीदार:



राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मॉडिया, आजाद मार्ग, मेन रोड, अय्यड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चुरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908